



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का कार्यालय
OFFICE OF THE Pr. CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, (MP&CG)

“आयकर भवन”, होशंगाबाद रोड, भोपाल
“AAYAKAR BHAWAN,” HOSHANGABAD ROAD, BHOPAL.
Phone : 0755-2525313

Email: bhopal.dcit.tech.pccit@incometax.gov.in

एफ.नं.प्र. सीसीआईटी/एमपी/तकनीकी/विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी)/2024-25

09.04.2024

विज्ञापन

भोपाल में विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) की नियुक्ति

भोपाल में सत्र न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों और अन्य न्यायिक न्यायालयों के समक्ष आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) के पैनल में शामिल होने के लिए पर्याप्त प्रतिष्ठा और अच्छी अकादमिक साख वाले अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्ति का उल्लेख नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

क्र.सं.	स्टेशनवार रिक्तियां	विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी)
1.	भोपाल	01

पात्रता मानदंड और अन्य नियम और शर्तें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी फाइल संख्या 279/Misc./M-77/2011-ITJ के निर्देश संख्या 02/2023 दिनांक 30.11.2023 द्वारा शासित होंगी।

2. उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार पद के इच्छुक और पात्र अधिवक्ता, कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मप्र एवं छग, भोपाल में निर्धारित प्रपत्र (format) में अपना आवेदन दिनांक **10.05.2024 सायं 05.00** बजे तक जमा कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप, नियम और शर्तें आदि आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है और/या सहायक आयकर आयुक्त (तकनीकी), कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, आयकर भवन, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मप्र एवं छग, से भी प्राप्त किया जा सकता है।

3. विशेष लोक अभियोजकों की योग्यता

एसपीपी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए, एक व्यक्ति:

(क) एक वकील के रूप में अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए पात्र हो

(ख) आपराधिक मामलों में प्रैक्टिस वकील के रूप में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रत्यक्ष करों से संबंधित ट्रायल का पर्याप्त अनुभव वांछनीय है।

4. अनुभव के प्रयोजन के लिए जैसा कि 2023 के सीबीडीटी निर्देश संख्या 02/2023 दिनांक 30.11.2023 में उल्लिखित है, पात्रता के लिए कट-ऑफ तिथि वर्तमान विज्ञापन की तिथि होगी।

5. आवेदकों को भोपाल में विशेष लोक अभियोजकों (एसपीपी) की नियुक्ति के लिए नए आवेदन जमा करने होंगे। इस विज्ञापन से पहले प्राप्त या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त या नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं। किसी भी संबंध में कमी पाए जाने पर भी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे।

6. यह विज्ञापन प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मप्र एवं छग, भोपाल की पूर्वानुमति के बाद प्रकाशित किया जा रहा है।

(राजेश जे. बडोले)

सहायक आयकर आयुक्त [तकनीकी]
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मप्र एवं छग,
भोपाल



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का कार्यालय
OFFICE OF THE Pr. CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, (MP&CG)

“आयकर भवन”, होशंगाबाद रोड, भोपाल
“AAYAKAR BHAWAN,” HOSHANGABAD ROAD, BHOPAL.
Phone : 0755-2525313

Email: bhopal.dcit.tech.pccit@incometax.gov.in

F.No.Pr. CCIT/MP/Tech/Special Public Prosecutors (SPPs)/2024-25

Dated 09.04.2024

Advertisement

Engagement of Special Public Prosecutor (SPPs) at Bhopal

Applications are invited from advocates of substantial standing and repute and with good academic credentials for the empanelment of Special Public Prosecutor (SPP) to represent the Income Tax Department before Courts of Session and its subordinate Courts at Bhopal & other judicial fora as per the below mentioned vacancy.

S.No.	Station wise vacancies	Special Public Prosecutor (SPPs)
1.	Bhopal	01

The eligibility criteria and other terms and conditions will be governed by the Instruction No. 02/2023 dated 30.11.2023 in F.No. 279/Misc./M-77/2011-ITJ issued by the Central Board of Direct Taxes, New Delhi.

2. The advocates desirous of and eligible for the post, in terms of the above said Instruction may submit their application in prescribed form in the O/o the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, MP & CG, Bhopal by **10.05.2024 till 05.00 P.M.** The format for the application, terms and conditions etc. may be downloaded from the official website www.incometaxindia.gov.in and/or also may be obtained from the Asstt. Commissioner of Income Tax (Tech.), O/o the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, MP & CG, Aayakar Bhawan, Hoshangabad Road, Bhopal.

3. **Qualification of Special Public Prosecutors**

In order to be eligible for engagement as an SPP, a person should:

(a) be eligible to appear before the court as an Advocate and

(b) have a minimum experience of 7 years as a Practicing Advocate, in criminal matters. Adequate experience of handling trials relating to Direct Taxes is desirable.

4. For the purpose of experience as mentioned in the CBDT Instruction No. 02/2023 dated 30.11.2023, the cut-off date for eligibility will be the date of the present advertisement.

5. Applicants are required to submit fresh applications for engagement of Special Public Prosecutors (SPPs) at Bhopal. The applications received earlier to this advertisement or received through any other channel or received after the due date are liable to be rejected. Applications deficient in any respect shall also be summarily rejected.

6. This advertisement is being published after obtaining prior approval of the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, MP & CG, Bhopal.

(Rajesh J. Badole)

Assistant Commissioner of Income tax [Tech.]

For Pr. Chief Commissioner of Income tax,

MP & CG, Bhopal